223 (11)
Ri: 16/04/13

(28)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः "मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना" के कार्यान्वयन के संबंध में ।

कालाजार रोग से ग्रस्त रोगियों के अस्पताल में भर्त्ती होने की दशा में भर्त्ती अवधि के दौरान उनके तथा उनके सहचर के पारिश्रमिक की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा कालाजार के रोगियों को अस्पताल लाने हेतु आशा कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहन देने हेतु "मुख्यमंत्री राहत कोष" से "मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना" की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

1. **योजना के उद्देश्यः**

(क) कालाजार रोग से ग्रसित मरीजों को अस्पताल में भर्त्ती होने के उपरान्त उनके पारिश्रमिक में होने वाले क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।

(ख) ऐसे मरीजों की अस्पताल में देखभाल करने वाले एक सहचर को भी उनके पारिश्रमिक में होने वाले क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।

(ग) आशा कार्यकर्त्ताओं को कालाजार के रोगियों को अस्पताल लाने हेतु प्रोत्साहित करना ।

2. **योजना का स्वरूप :**

(क) इस योजना के अन्तर्गत कालाजार रोग से ग्रसित मरीजों को अस्पताल में ईलाज हेतु भर्त्ती होने के उपरान्त प्रति मरीज ₹150/– एवं अस्पताल में उनकी देखभाल करने वाले एक सहचर को भी ₹150/– अर्थात प्रति मरीज ₹ 300/–(तीन सौ रूपये) प्रति दिवस की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी ।

(ख) आशा कार्यकर्त्ताओं को कालाजार के रोगियों को अस्पताल लाने की दशा में प्रोत्साहन स्वरूप प्रति मरीज 50/–(पचास रूपये) की राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(ग) उपरोक्तानुसार दी गयी राशि भारत सरकार द्वारा इस मद में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त होगी ।

3. <u>योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया:</u>

(क) मुख्यमंत्री राहत कोष से इस मद में ₹10,0000000/–(दस करोड़) की एकमुश्त राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति के स्तर पर एक अलग बैंक खाता खोला जाएगा । यह राशि "रिवाल्विंग फण्ड" के रूप में रहेगी । इस फण्ड का 75 प्रतिशत व्यय हो जाने की दशा में पुनः दस करोड़ की राशि उक्त खाते को प्राप्त करायी जाएगी ।

(ख) राशि का व्यय जिला स्तर पर होगा, जिसके लिए संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा यथानुसार राज्य स्वास्थ्य समिति को मांग पत्र प्रेषित किया जाएगा । मांग पत्र प्राप्त होने के उपरांत राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा चेक अथवा इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर के माध्यम से यह राशि संबंधित जिला स्वास्थ्य समितियों को उपलब्ध करायी जाएगी ।

(ग) जिला स्तर पर अस्पताल में ईलाज हेतु भर्त्ती होने वाले कालाजार मरीजों एवं उनके सहचर को ₹300/–प्रति दिवस की दर से अनुग्रह राशि स्वीकृत करने का अधिकार सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित समिति को होगा । समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे :

(i) सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी – अध्यक्ष

(ii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी – सदस्य

(iii) कालाजार के प्रभारी स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी(जिला मलेरिया पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी) – सदस्य–संयोजक

(iv) जिला स्तर पर कालाजार के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि, जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित किये जाएंगे – सदस्य

(घ) उपरोक्त समिति इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करेगी तथा संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से अथवा सीधे भी संबंधित से आवेदन पत्र प्राप्त करेगी । आवेदन पत्र का प्रारूप राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित कर जिलों को भेजा जाएगा । आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरांत तथ्यों की जांच सदस्य–संयोजक द्वारा एक सप्ताह के अन्दर करा लिया जाएगा तथा समिति की बैठक आयोजित कर भुगतान की जाने वाली राशि की स्वीकृति दी जाएगी ।

(ड़.) लाभार्थी को चेक के माध्यम से उपरोक्त राशि दी जाएगी ।

4 इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी ।

5 यह योजना दिनांक 01.04.2013 के प्रभाव से लागू होगी ।

6 इसमें माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/–
(संजय कुमार)
सचिव, स्वास्थ्य

ज्ञापांक 223 (11), **पटना, दिनांक** 16/04/13

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी सिविल सर्जन/सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

12/4/2013
(संजय कुमार)
सचिव, स्वास्थ्य

ज्ञापांक 223 (11), **पटना, दिनांक** 16/04/13

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक–सह–सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति/सभी सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

12/4/2013
(संजय कुमार)
सचिव, स्वास्थ्य

ज्ञापांक 223 (11), **पटना, दिनांक** 16/04/13

प्रतिलिपि: विकास आयुक्त, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

12/4/2013
(संजय कुमार)
सचिव, स्वास्थ्य

ज्ञापांक 223 (11), **पटना, दिनांक** 16/04/13

प्रतिलिपि: आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी माननीय मंत्री, बिहार सरकार को माननीय मंत्रीगण के सूचनार्थ प्रेषित ।

12/4/2013
(संजय कुमार)
सचिव, स्वास्थ्य

ज्ञापांक 223 (11), **पटना, दिनांक** 16/04/13

प्रतिलिपि: माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

12/4/2013
(संजय कुमार)
सचिव, स्वास्थ्य